


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुयें
------------	---------------------------------	--

23/05/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उमयपक्ष उपर।  
 पत्रावली मूल पत्रावली के साथ आर्यंदा दिनांक 20/06/25  
 को पेश हो।  
 अधिवक्ता उमयपक्ष कलेक्टर  
 बाली, जिला-पाली

20/06/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उमयपक्ष उमयपक्ष  
 हस्तगत (अगत) आर्यंदापत्र में अन्त दोषी (आर्यंदा)  
 शेष नहीं होने के वक्त पुनः या निश्चय  
 किया गया।  
 अधिवक्ता उमयपक्ष ने "वक्त वक्त निवेदन किया  
 कि" और निवेदन आर्यंदा संख्या 66 दिनांक  
 15/12/2009, जो कि अज्ञात संख्या के पक्ष में  
 जारी किया गया है, की शर्त में "गंव" के सिविल रिजि  
 स्ट्रि का परिष्कार पक्ष एवं आर्यंदा के शर्त  
 को भी सम्मिलित करते हुए उक्त चर्चा जारी  
 किया गया है, जिसे निवेदन के द्वारा  
 पुनः शर्त आर्यंदा सम्मिलित है यह कि, उक्त  
 संख्या के अंत उक्त शर्त उक्त निवेदन  
 के द्वारा परिष्कार पक्ष तथा आर्यंदा की शर्त  
 को वापस राने को वक्त वक्त पर आर्यंदा  
 है। यदि आर्यंदा को उक्त शर्त में निवेदन  
 कार्य में नहीं लेना गया, तो आर्यंदा प्रकृत  
 करने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा।  
 अधिवक्ता उमयपक्ष ने उक्त तर्कों का  
 विरोध करते हुए निवेदन किया कि  
 उमयपक्ष द्वारा निवेदन का निवेदन नहीं  
 व्यवस्था में रहा है, आर्यंदा निवेदन है।  
 पत्रावली को उक्त तर्कों को वापस  
 अधिवक्ता द्वारा वक्त वक्त प्रकृत किया गया

तारीख हुक्म

~~जो शोशासन से यह सुल्ट दूखि गोचर डोत्र है~~  
~~कि पके पर निष्पत्ति कार्य प्रगति है~~  
~~विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि~~  
~~जु न्यायिक कार्यवाही के विचारार्थ रहे~~  
~~विवादाग्रह शा(1.2) का संकेत करवाए, ये~~  
~~कानून संशोधन पंचायती राज अधिनियम 1994~~  
~~की धारा 97(2) के प्रावधानांतरात आशेष~~  
~~पडा संख्या 66 दिनांक 15/12/2009 के अंतर्~~  
~~को स्थापित किया जाकर अग्रिम संख्या 10~~  
~~के विरुद्ध उक्त काल की निषेधाज्ञा जारी~~  
~~की जाती है कि इस अधिनियम प्रक(1) संख्या~~  
~~377/2024 (दलम 2024/484) के~~  
~~अनुषंग निम्नांकित एक पत्र लेखाधिकार~~  
~~शक्ति पर किसी प्रकार का निष्पत्ति कार्य~~  
~~नहीं करे। निर्णय सं- 27/11/2024 (उत्तरा 11/2)~~  
~~पत्रावली संसद सुधार होकर दायित्व~~  
~~दफ्तर की राफ~~

  
 अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
 बाली, जिला पाली